



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बुधवार, 21 जनवरी, 2026 ई०

(माघ 1, 1947 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-2041/दस-लाइसेंस-171/विदेशी मदिरा-प्रीमियम रिटेल वैण्डस/2025-2026

प्रयागराज, दिनांक 21 जनवरी, 2026 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि०-4

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन)

(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

2. नियम-2 का संशोधन- उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2020, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2. परिभाषा-	2. परिभाषा-
(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:-	(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:-
(क) "अधिनियम"का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 से है;	(क) "अधिनियम"का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 से है;
(ख) "आबकारी वर्ष"का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	(ख) "आबकारी वर्ष"का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(ग) "परिवार"का तात्पर्य इसमें सम्मिलित दम्पति (पति-पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है;	(ग) "परिवार"का तात्पर्य इसमें सम्मिलित दम्पति (पति-पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है;
(घ) "विदेशी मदिरा" का तात्पर्य निम्नलिखित से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है-	(घ) "विदेशी मदिरा" का तात्पर्य निम्नलिखित से है, और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है-
(1) समुद्रपार विदेशी मदिरा:-बीयर और स्पिट, वाइन्स और लिकर्स जिन्हें भारत में मानव उपभोग के आशय से आयात किया गया हो और जिनपर ऐसे आयात के लिये सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन शुल्क संदेय हो;	(एक) समुद्रपार विदेशी मदिरा:-बीयर और स्पिट, वाइन्स और लिकर्स जिन्हें भारत में मानव उपभोग के आशय से आयात किया गया हो और जिनपर ऐसे आयात के लिये सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन शुल्क संदेय हो;
(2) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम. एफ.एल.)- भारत में निर्मित स्पिट या मदिरा, जिसे सुगंध या रंग की दृष्टि से भारत में आयातित स्पिट या मदिरा के समान परिष्कृत किया गया हो और जिसमें माल्ट स्पिट, व्हिस्की, ब्रान्डी, रम, जिन, बोदका व लीकर्स सम्मिलित है। इसमें भारत में निर्मित बीयर, पैक की हुयी ड्राट बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) भी सम्मिलित है;	(दो) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम. एफ.एल.)- भारत में निर्मित स्पिट या मदिरा, और स्वाद या रंग की दृष्टि से भारत में आयातित स्पिट या मदिरा के समान परिष्कृत किया गया हो और जिसमें माल्ट स्पिट, व्हिस्की, ब्रान्डी, रम, जिन, बोदका व लीकर्स सम्मिलित है। इसमें भारत में निर्मित बीयर, पैक की हुई ड्राट बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) भी सम्मिलित है;

स्तम्भ-एक

विद्यमान नियम

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ड) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(छ) "व्यक्ति" का तात्पर्य 21 वर्ष से अन्यून व्यक्ति से है, जो भारत का नागरिक हो।

(ज) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन स्वीकृत लाइसेंस से है;

(झ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट/किसी राजस्व जिला के कलेक्टर से है;

(ञ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य प्रीमियम फुटकर विक्रय में विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर किसी आबकारी वर्ष के लिए प्रतिफल फीस के रूप में वसूल की जाने वाली नियत धनराशि से है:

परन्तु यह कि यदि ऐसा लाइसेंस आबकारी वर्ष प्रारम्भ होने के पश्चात निर्गत किया जाता है, तो वर्ष के बाकी अवधि के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण आबकारी वर्ष के अवशेष बचे त्रैमासों की संख्या के अनुसार किया जायेगा। एक त्रैमास के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(ट) "माल" का तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं की बिक्री हेतु बहु लाइसेंस रखने वाली एकल फर्म/कम्पनी के स्वामित्व वाले किसी परिसर में स्थित न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट प्लिंथ क्षेत्रफल वाले किसी बड़े भवन अथवा भवनों (क्रेताओं/भ्रमणकर्ताओं हेतु एक ही तल अथवा विभिन्न तलों पर परस्पर मिले हुये मार्गों, सामूहिक पारगमन क्षेत्र और अग्रदीर्घा, प्रांगण, वाहन पार्किंग सुविधा सहित) जिनमें विभिन्न प्रकार की प्रवेश योग्य दुकान/दुकानें हों, से है। इसमें विभिन्न वस्तुओं की फुटकर बिक्री के शापिंग/कामर्शियल काम्प्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट भी सम्मिलित हैं।

(ड) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(छ) "व्यक्ति" का तात्पर्य 21 वर्ष से अन्यून व्यक्ति से है, जो भारत का नागरिक हो।

(ज) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन स्वीकृत लाइसेंस से है;

(झ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट/किसी राजस्व जिला के कलेक्टर से है;

(ञ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य प्रीमियम फुटकर विक्रय में विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर किसी आबकारी वर्ष के लिए प्रतिफल फीस के रूप में वसूल की जाने वाली नियत धनराशि से है:

परन्तु यह कि यदि ऐसा लाइसेंस आबकारी वर्ष प्रारम्भ होने के पश्चात निर्गत किया जाता है, तो वर्ष के बाकी अवधि के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण आबकारी वर्ष के अवशेष बचे त्रैमासों की संख्या के अनुसार किया जायेगा। एक त्रैमास के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(ट) "माल" का तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं की बिक्री हेतु बहु लाइसेंस रखने वाली एकल फर्म/कम्पनी के स्वामित्व वाले किसी परिसर में स्थित न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट प्लिंथ क्षेत्रफल वाले किसी बड़े भवन अथवा भवनों (क्रेताओं/भ्रमणकर्ताओं हेतु एक ही तल अथवा विभिन्न तलों पर परस्पर मिले हुये मार्गों, सामूहिक पारगमन क्षेत्र और अग्रदीर्घा, प्रांगण, वाहन पार्किंग सुविधा सहित) जिनमें विभिन्न प्रकार की प्रवेश योग्य दुकान/दुकानें हों, से है। इसमें विभिन्न वस्तुओं की फुटकर बिक्री के शापिंग/वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट भी सम्मिलित हैं।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ठ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के एक चौथाई धनराशि के समतुल्य धनराशि, जो सावधि जमा रसीद के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत होगी अथवा ई-पेमेंट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो लाइसेंस संचालन में लाइसेंसधारी द्वारा किये गये किसी व्यतिक्रम की स्थिति में समपहत किये जाने योग्य होगी, से है।	(ठ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत ई-बैंक गारंटी के माध्यम से या आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित किसी अन्य रीति के माध्यम से जमा की जाएगी, जो राज्य सरकार को सभी दावों और देय के अंतिम निपटान के पश्चात् प्रतिदेय की जाएगी। परन्तु नवीकरण के मामले में नकद या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) या बैंक गारंटी के माध्यम से पहले जमा की गई प्रतिभूति धनराशि तब तक स्वीकार्य होगी जब तक कि इसे वापस नहीं किया जाता है;
(ड) "आस्वादन कक्ष" का तात्पर्य लाइसेंस परिसर के भीतर एक अलग स्थान, जहाँ क्रेता को वाइन के आस्वादन की सुविधा अनुज्ञेय हो, से है।	(ड) "आस्वादन कक्ष" का तात्पर्य लाइसेंस परिसर के भीतर एक अलग स्थान, जहाँ क्रेता को वाइन के आस्वादन की सुविधा अनुज्ञेय हो, से है।
(ढ) "परिवहन अनुज्ञा पत्र" का तात्पर्य थोक लाइसेंस यथा एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी, एवं बी.आई.ओ.-1 से विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु जारी अनुज्ञापन से है।	(ढ) "परिवहन अनुज्ञा पत्र" का तात्पर्य थोक लाइसेंस यथा एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी, एवं बी.आई.ओ.-1/बी.आई.ओ.-1A से विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु जारी अनुज्ञापन से है।
(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।	(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

3. नियम-3 का संशोधन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लिए लाइसेंस-माल में सील्ड बोतलों/पैकेटों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र वि0म0-4ग में लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान किये जायेंगे:	3. विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लिए लाइसेंस- मॉल में सीलबंद बोतलों/पैकेटों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र वि0म0-4ग में एक या अधिक लाइसेंस प्रदान किये जा सकते हैं।

स्तम्भ-एक

विद्यमान नियम

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(एक) यह कि विक्रय हेतु दुकान न्यूनतम 500 वर्गफुट कार्पेट क्षेत्र में होगी और दुकानों में ग्राहकों हेतु प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(दो) यह कि विक्रय हेतु दुकान अच्छी गुणवत्ता की फ्लोरिंग और सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किये जा सकें।

(तीन) यह कि विक्रय हेतु दुकान में मदिरा भण्डारण एवं प्रदर्शन हेतु पृथक-पृथक प्रांगण होंगे और

(चार) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी केवल उन्हीं श्रेणियों की विदेशी मदिरा, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा यथा स्थिति प्राधिकृत किया जाय, की बिक्री सील्ड बोतलों/पैकेटों में व्यक्तियों को करेगा।

(पाँच) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी व्यक्तियों को परिसर में उपभोग हेतु मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(छः) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी किसी अन्य लाइसेंसधारी को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(सात) इस संबंध में ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें आबकारी आयुक्त अधिरोपित करना उचित समझें।

(आठ) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी क्रेता को वाइन आस्वादन कक्ष की सुविधा प्रदान करेगा।

(नौ) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी, मदिरा उपभोग से सम्बन्धित उपसाधन की बिक्री कर सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट जिलों/क्षेत्रों में एफ.एल.-4ग लाइसेंस में अनुज्ञेय श्रेणी की वाइन एवं एल.ए.बी.की बिक्री हेतु प्रपत्र एफ.एल.-4घ में एक या अधिक लाइसेंस और समस्त एम0आर0पी0 की बीयर प्रदान की जा सकती है। लाइसेंस देने से पहले लाइसेंसिंग प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों को सुनिश्चित करेगा :

(एक) यह कि विक्रय हेतु दुकान न्यूनतम 500 वर्ग फुट का पेंट क्षेत्र में होगी और दुकानों में ग्राहकों हेतु प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(दो) यह कि विक्रय हेतु दुकान अच्छी गुणवत्ता की फ्लोरिंग और सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किये जा सकें।

(तीन) यह कि विक्रय हेतु दुकान में मदिरा भण्डारण एवं प्रदर्शन हेतु पृथक-पृथक प्रांगण होंगे और

(चार) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी केवल उन्हीं श्रेणियों की विदेशी मदिरा, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा यथास्थिति प्राधिकृत किया जाय, की बिक्री सील्ड बोतलों/पैकेटों में व्यक्तियों को करेगा।

(पाँच) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी व्यक्तियों को परिसर में उपभोग हेतु मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(छः) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी किसी अन्य लाइसेंसधारी को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(सात) इस संबंध में ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें आबकारी आयुक्त अधिरोपित करना उचित समझें।

(आठ) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी क्रेता को वाइन आस्वादन कक्ष की सुविधा प्रदान करेगा।

(नौ) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी, मदिरा उपभोग से सम्बन्धित उपसाधन की बिक्री कर सकेगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(दस) लाइसेंसधारी को दुकान के अंदर के दृश्य और दुकान के बाहर के दृश्य को कैद करने और संग्रहीत करने के लिए दो सी.सी.टी.वी. कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे।
	(ग्यारह) लाइसेंसधारी को मदिरा की दुकान पर डिजिटल भुगतान सुविधा का विकल्प अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
	(बारह) लाइसेंसधारी को पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से शराब की बिक्री करनी होगी।
	(तेरह) मॉल के मल्टीप्लेक्स क्षेत्रों में प्रीमियम फुटकर विक्रय अनुमन्य नहीं होगा।
	(चौदह) प्रीमियम फुटकर विक्रय का हस्तांतरण अनुमन्य होगा, किन्तु यह नियम-6(ख) के उपबन्धों के अधीन होगा।
	(पंद्रह) विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में स्थित 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रवाले आई.टी./आई.टी.ई.एस. प्रतिष्ठानों में संस्थागत सुविधाओं के अधीन रेस्तरां/कैंटीन के साथ प्रीमियम फुटकर विक्रय की सुविधा अनुमन्य होगी।

4. नियम-5 का संशोधन - उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
5- लाइसेंस हेतु आवेदक- लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु केवल ऐसा व्यक्ति पात्र होगा, जोय (क) भारतकानागरिकहो (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी हो; (ग) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित कोई कम्पनी हो;	5- लाइसेंस हेतु आवेदक- लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु केवल ऐसा व्यक्ति पात्र होगा, जो, (क) भारत का नागरिक हो (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी हो; (ग) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित कोई कम्पनी हो;

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(घ) भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत कोई भागीदारी फर्म हो, जिसके भागीदार भारत के नागरिक हों (ङ) कोई पंजीकृत एक मात्र स्वामित्व वाली फर्म हो (च) कोई लिमिटेड लायबिलिटी भागीदारी फर्म हो, (छ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी हो (ज) व्यक्ति होने की दशा में 21 वर्ष की आयु से अधिक का हो।	(घ) भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत कोई भागीदारी फर्म हो, जिसके भागीदार भारत के नागरिक हों (ङ) कोई पंजीकृत एक मात्र स्वामित्व वाली फर्म हो (च) कोई लिमिटेड लायबिलिटी भागीदारी फर्म हो, (छ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी हो (ज) व्यक्ति होने की दशा में 21 वर्ष की आयु से अधिक का हो। (2) किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी को दो से अधिक प्रीमियम फुटकर विक्रय लाइसेंस अर्थात् एफ.एल.-4सी. और एफ.एल.-4डी. स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5. नियम-6 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. लाइसेंस स्वीकृति पर निर्बन्धन- कोई लाइसेंस तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि,- (क) आवेदक के पास माल में न्यूनतम 500 वर्गफुट कार्पेट क्षेत्र की दुकान का कब्जा न हो। यदि प्रस्तावित परिसर का उपयोग, संपत्ति और भवन के स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किया जा रहा हो तब पट्टा या किराया करार पंजीकृत होगा; (ख) दुकान का परिसर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग या इसकी सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर की दूरी में हो और परिसर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से द्रष्टव्य या सीधे पहुंचाने योग्य हो, परन्तु 20,000 या इससे कम जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में उक्त दूरी 220 मीटर होगी। परन्तु यह और कि उपरोक्त निर्बन्धन नगर पालिका क्षेत्रों की परिधि में आने वाले लाइसेंसप्राप्त प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होंगे।	6. लाइसेंस स्वीकृति पर निर्बन्धन- कोई लाइसेंस तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि,- (क) आवेदक के पास माल में न्यूनतम 500 वर्गफुट कार्पेट क्षेत्र की दुकान का कब्जा न हो। यदि प्रस्तावित परिसर का उपयोग, संपत्ति और भवन के स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किया जा रहा हो तब पट्टा या किराया करार पंजीकृत होगा; (ख) दुकान का परिसर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग या इसकी सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर की दूरी में हो और परिसर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से द्रष्टव्य या सीधे पहुंचाने योग्य हो। परन्तु किसी भी मॉडलशॉप (एफएल4 ए) या कम्पोजिट शॉप (एफएल5 डीबी) से 200 मीटर की सड़क दूरी के भीतर कोई नया प्रीमियम फुटकर विक्रय लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, सिवाय नगर निगम क्षेत्रों और गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के जहाँ न्यूनतम दूरी 100 मीटर होगी। तथापि यह उपबंध पूर्व से विद्यमान प्रीमियम फुटकर विक्रय लाइसेंसों पर लागू नहीं होगा;

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्रतिबन्ध यह है कि किसी माडल शॉप (एफ.एल.4ए) एवं विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल.5डी) की 200 मीटर की परिधि में कोई नवीन प्रीमियम फुटकर विक्रय का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध प्रीमियम फुटकर विक्रय के स्वीकृत अनुज्ञापनों पर लागू नहीं होगा। प्रतिबन्धन यह है कि किसी माडल शॉप (एफ.एल.4ए) एवं विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल.5डी) की 200 मीटर की परिधि में कोई नवीन प्रीमियम फुटकर विक्रय का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध प्रीमियम फुटकर विक्रय के पूर्वतन स्वीकृत अनुज्ञापनों पर लागू नहीं होगा। (ग) दुकान का परिसर उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबन्धों के प्रतिकूल प्रतिबन्धित दूरी के भीतर हो; (घ) आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन लाइसेंस न हो। (ङ) दुकान के परिसर हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा का विधिमान्य प्रमाण पत्र न हो।	(ग) दुकान का परिसर उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबन्धों के प्रतिकूल प्रतिबन्धित दूरी के भीतर हो; (घ) आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन लाइसेंस न हो। (ङ) दुकान के परिसर हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा का विधिमान्य प्रमाण पत्र न हो।

6. नियम-7 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
7- लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन- (1) लाइसेंस हेतु आवेदन, विहित प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों सहित जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा:- (क) अप्रतिसंदेय आवेदन शुल्क;	7- लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन- (1) लाइसेंस हेतु आवेदन, विहित प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों सहित जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा:- (क) अप्रतिसंदेय आवेदन शुल्क;

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) परिसर के विधिक विधिमान्य कब्जा का प्रमाण: स्वामित्व/पट्टा/ किरायेदारी दस्तावेज आदि;	(ख) परिसर के विधिक विधिमान्य कब्जा का प्रमाण: स्वामित्व/पट्टा/ किरायेदारी दस्तावेज आदि;
(ग) प्रस्तावित दुकान को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए प्रस्तावित परिसर की अभिन्यास योजना;	(ग) प्रस्तावित दुकान को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए प्रस्तावित परिसर की अभिन्यास योजना;
(घ) प्रतिभूति धनराशि;	(घ) प्रतिभूति धनराशि;
(ङ) दो वर्ष के आयकर/वैट/जी0एस0टी0 दस्तावेज;	(ङ) दो वर्ष के आयकर/वैट/जी0एस0टी0 दस्तावेज;
(च) पैनकार्ड व आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ;	(च) पैनकार्ड व आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ;
(छ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;	(छ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;
(ज) सम्बन्धित जिला के पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र;	(ज) सम्बन्धित जिला के पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र;
(झ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र;	(झ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र;
(2) आवेदक, पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि:	(2) आवेदक, पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि:
(क) वह परिसर का स्वामी अथवा पट्टेदार है अथवा उसके पास समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 के उपबन्धों के अनुसार परिसर के स्वामी का पट्टा विलेख या सहमतिपत्र है,	(क) वह परिसर का स्वामी अथवा पट्टेदार है अथवा उसके पास समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 के उपबन्धों के अनुसार परिसर के स्वामी का पट्टा विलेख या सहमति पत्र है,
(ख) उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा हो और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि न हो तथा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 या स्वापक औषाधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) के अधीन दण्डनीय अपराध अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो या उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) के अधीन निष्कासितन किया गया हो,	(ख) उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा हो और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो तथा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 या स्वापक औषाधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) के अधीन दण्डनीय अपराध अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैरजमानती अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो या उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) के अधीन निष्कासितन किया गया हो

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) उसे पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / उस जिले का पुलिस अधीक्षक, जिसमें वह निवास निवास करता हो, की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यह दर्शित करते हुए प्रस्तुत करना होगा कि उसका व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि या अपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदक के भागीदारी फर्म अथवा कम्पनी होने की स्थिति में फर्म के प्रत्येक भागीदार अथवा कम्पनी के निदेशक या प्रबन्धक या प्रबन्धन अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक को पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उस जिले, जहाँ का वह निवासी हो, के पुलिस अधीक्षक के श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यह दर्शाते हुए धारित करना होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा तथा उसकी कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि या अपराधिक अभिलेख नहीं है; (घ) वह ऐसा कोई विक्रेता या प्रतिनिधि नहीं रखेगा जिसका आपराधिक अभिलेख हो या संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो; (ङ) उस पर किन्हीं लोक या सरकारी देयों का बकाया नहीं है; (च) वह ऋण शोधन सक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधियों का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका विवरण, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा;	(ग) उसे पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / उस जिले का पुलिस अधीक्षक, जिसमें वह निवास करता हो, की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र, यह दर्शित करते हुए प्रस्तुत करना होगा कि उसका व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि या अपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदक के भागीदारी फर्म अथवा कम्पनी होने की स्थिति में फर्म के प्रत्येक भागीदार अथवा कम्पनी के निदेशक या प्रबन्धक या प्रबन्धन अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक को पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उस जिले, जहाँ का वह निवासी हो, के पुलिस अधीक्षक के श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, यह दर्शाते हुए धारित करना होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा तथा उसकी कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि या अपराधिक अभिलेख नहीं है; (घ) वह ऐसा कोई विक्रेता या प्रतिनिधि नहीं रखेगा जिसका आपराधिक अभिलेख हो या संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो; (ङ) उस पर किन्हीं लोक या सरकारी देयों का बकाया नहीं है; तथापि, अन्य राज्यों के निवासी अदेयता प्रमाणपत्र के स्थान पर 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी कृत शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। (च) वह ऋण शोधन सक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधियों का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका विवरण, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा;

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(छ) वह न तो किसी मदिरा बोतल भराई का लाइसेंस धारक है और नहीं वह एल्कोहल का उत्पादक या निर्माता है और नहीं थोक लाइसेंस धारक है;	(छ) वह न तो किसी मदिरा बोतल भराई का लाइसेंस धारक है और नहीं वह एल्कोहल का उत्पादक या निर्माता है और नहीं थोक लाइसेंस धारक है;
(ज) वह बार काउंसिल से पंजीकृत अधिवक्ता या चिकित्सक या कम्पनी सचिव या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त उपरोक्त में से कोई पाया जाता है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;	(ज) वह बार काउंसिल से पंजीकृत अधिवक्ता या चिकित्सक या कम्पनी सचिव या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त उपरोक्त में से कोई पाया जाता है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;
(झ) वह सरकारी सेवक नहीं है। सरकारी सेवक पाये जाने की दशा में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;	(झ) वह सरकारी सेवक नहीं है। सरकारी सेवक पाये जाने की दशा में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;
(ञ) उसके प्रतिष्ठान का परिसर राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग के बफर जोन/प्रतिबंधित जोन की परिधि में नहीं आता है;	(ञ) उसके प्रतिष्ठान का परिसर राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग के बफर जोन/प्रतिबंधित जोन की परिधि में नहीं आता है;
(ट) उसके पास या न पार्किंग का समुचित तथा पर्याप्त स्थान है, जिससे वहाँ पर कोई ट्रैफिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी और ऐसा पाये जाने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;	(ट) उसके पास या न पार्किंग का समुचित तथा पर्याप्त स्थान है, जिससे वहाँ पर कोई ट्रैफिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी और ऐसा पाये जाने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;
(ठ) वह अपने परिसर में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा;	(ठ) वह अपने परिसर में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा

7. नियम-9 का संशोधन-- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. लाइसेंस जारी किया जाना- (1) लाइसेंस प्राधिकारी/स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात्कि लाइसेंस शुल्क तथा प्रतिभूति जमा कर दी गई है, स्वहस्ताक्षर तथा कार्यालय मुहर से लाइसेंस जारी करेगा।	9. लाइसेंस जारी किया जाना- (1) लाइसेंस प्राधिकारी/स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात्कि लाइसेंस शुल्क तथा प्रतिभूति जमा कर दी गई है, स्वहस्ताक्षर तथा कार्यालय मुहर से लाइसेंस जारी करेगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र को स्वीकृत अथवा कोई कारण समनुदेशित किये बिना अस्वीकृत कर सकता है और वह लाइसेंस स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगा। यदि कोई आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो प्रतिभूति धनराशि नब्बे दिनों के भीतर वापस कर दी जायेगी।	(2) लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र को स्वीकृत अथवा कोई कारण समनुदेशित किये बिना अस्वीकृत कर सकता है और वह लाइसेंस स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगा। यदि कोई आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो प्रतिभूति धनराशि नब्बे दिनों के भीतर वापस कर दी जायेगी।
(3) किसी व्यक्ति, भागीदारी फर्म, कम्पनी या सोसाइटी को केवल एक लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। तथा पियह निर्बन्धन माल श्रृंखला का स्वामित्व रखने वाली कम्पनियों पर लागू नहीं होगा।	(3) किसी एक व्यक्ति, फर्म या कम्पनी को अधिकतम दो लाइसेंस स्वीकृत किया जा सकेगा ।
(4) लाइसेंस धारक किसी अन्य थोक लाइसेंस के लिये पात्र नहीं होगा।	(4) लाइसेंस धारक किसी अन्य थोक लाइसेंस के लिये पात्र नहीं होगा।

8. नियम-13 का संशोधन –उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
13. लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) की मृत्यु होने पर उत्परिवर्तन-	13. लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) की मृत्यु होने पर नामांतरण –
(1) यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है या संयुक्त रूप से दो या उससे अधिक भागीदारों द्वारा धारित किया जाता है।	(1) लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है या संयुक्त रूप से दो या उससे अधिक भागीदारों द्वारा धारित किया जाता है।
(2) इच्छुक लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन के अंतरण के संबंध में एक नामनिर्देशन शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नामनिर्देशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	(2) लाइसेंसधारी अपने वारिसों /परिवार के सदस्यों/निकट सम्बन्धियोंके नाम, आधार संख्या, सम्बंध आदि को वरीयता क्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि का उल्लेख करते हुये लाइसेंस के अंतरण के सम्बन्ध में एक नामनिर्देशन शपथ पत्र एवं प्रथम नामिनी का सहमति शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर सकता है। मृत्यु के मामलों में सर्वप्रथम नामनिर्देशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
उक्त आशय की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ पत्र लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। (3) लाइसेंसधारी या भागीदारों में से किसी एक भागीदार की मृत्यु की दशा में लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करने पर जीवित व्यक्ति के साथ मृतक के विधिक वारिस (वारिसों) के नाम, पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन लाइसेंस अंतरित किया जा सकता है। परन्तु यह कि लाइसेंस नामान्तरण हेतु किये गये आवेदन पर विचार करने के पश्चात् वे अन्यथा अपात्र न पाये जायें। भागीदारों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा, जो संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक उत्तरदायी होंगे।	पूर्वोक्त आशय की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ पत्र लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। (एक) यदि किसी लाइसेंसधारी की अगले वर्ष के नवीकरण हेतु धनराशि जमा करने के पश्चात मृत्यु हो जाती है तथा उसके किसी भी विधिक वारिस या नाम निर्देशिनी को इसके लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नवीकरण हेतु जमा की गई धनराशि प्रोसेसिंग फीस को छोड़कर उनके विधिक वारिस को वापस कर दी जाएगी। (दो) यदि किसी प्रीमियम फुटकर विक्रय लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है, जिनके लाइसेंस पूर्व वर्षों से नवीकृत हैं तथा उसके विधिक वारिस या नाम निर्देशिनी द्वारा शपथ पत्र नहीं दिया जाता है अथवा वे अनुपयुक्त पाए जाते हैं, तो आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अगले वर्ष के लिए नियत दिनांक तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर जीवित लाइसेंसी के पक्ष में दुकान का नवीकरण कर दिया जाएगा। वर्ष के अंत में, पूर्व वर्ष के लिए जमा की गई प्रतिभूति धनराशि वापस कर दी जाएगी। (तीन) दो जीवित लाइसेंसधरियों वाले प्रीमियम विक्रय का नवीकरण तभी किया जाएगा, जब नवीकरण हेतु दोनों लाइसेंसधरियों के बीच सहमति हो। सहमति न होने की दशा में नवीकरण अनुज्ञेय नहीं होगा। (3) लाइसेंसधारी या भागीदारों में से किसी एक भागीदार की मृत्यु की दशा में लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करने पर जीवित व्यक्ति के साथ मृतक के विधिक वारिस (वारिसों) के नाम, पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन लाइसेंस अंतरित किया जा सकता है। परन्तु यह कि लाइसेंस नामान्तरण हेतु किये गये आवेदन पर विचार करने के पश्चात् वे अन्यथा अपात्र न पाये जायें। भागीदारों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा, जो संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक उत्तरदायी होंगे।

9. नियम-14 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
14. कारबार के घंटे-लाइसेंसधारी अपना कारबार पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 10:00 बजे तक संव्यवहृत करेगा; परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त/राज्य सरकार के अनुमोदन से लाइसेंस अवधि के प्रक्रम के दौरान कारबार के घण्टों में परिवर्तन कर सकता है और लाइसेंसधारी को तदुसार परिवर्तित समयों का अनुपालन करना होगा।	14. कारोबार केघंटे-लाइसेंसधारी अपना कारबार पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 10:00 बजे तक संव्यवहृत करेगा; तथापि मॉल में संचालित प्रीमियम फुटकर विक्रय की कार्यावधि मॉल के कार्यावधि के समतुल्य होगी तथा हवाई अड्डे के मुख्य भवन में संचालित प्रीमियम फुटकर विक्रय के कार्यावधि हवाई अड्डे के कार्यावधि के समतुल्य होगी। परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त/राज्य सरकार के अनुमोदन से लाइसेंस अवधि के प्रक्रम के दौरान कारबार के घण्टों में परिवर्तन कर सकता है और लाइसेंसधारी को तदुसार परिवर्तित समयों का अनुपालन करना होगा।

10-नियम-18 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-18 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. केवल शुल्क संदत्त विदेशी मदिरा की बिक्री- (1) लाइसेंसधारी केवल (क) समुद्रपार विदेशी मदिरा ब्राण्डों, (ख) स्काच या इससे उच्च श्रेणी के भारत निर्मित विदेशी मदिरा ब्राण्डों (ग) ब्राण्डी, जिन और वाइन की समस्त श्रेणियों, (घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित अधिकतम फुटकर मूल्य की वोदका, रम और बीयर के ब्राण्ड और (ङ) कम तीव्रता के मादक पेय के समस्त ब्राण्ड की बिक्री करेगा।	18. केवल शुल्क संदत्त विदेशी मदिरा की बिक्री- (1) एफ.एल.4सी लाइसेंसधारी केवल (क) समुद्रपार विदेशी मदिरा ब्राण्डों, (ख) स्काच या इससे उच्च श्रेणी के भारत निर्मित विदेशी मदिरा ब्राण्डों (ग) ब्राण्डी, जिन और वाइन की समस्त श्रेणियों, (घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित अधिकतम फुटकर मूल्य की वोदका, रम और बीयर के ब्राण्ड और (ङ) एल.ए.बी. (कम तीव्रता के मादक पेय) के समस्त ब्राण्ड की बिक्री करेगा। (2) एफ.एल.4डी लाइसेंसधारी केवल, (क) समस्त श्रेणियों की वाइन, (ख) समस्त श्रेणियों की एल.ए.बी. (कम तीव्रता के मादक पेय); और (ग) समस्त श्रेणियों की बीयर; की बिक्री करेगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्राप्त समस्त एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में पात्र ब्राण्डों की बिक्री की जा सकती है।	परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्राप्त समस्त एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में पात्र ब्राण्डों की बिक्री की जा सकती है।
(2) लाइसेंसधारी, विदेशी मदिरा, एफ0एल0 2, एफ0एल0 2बी, बी0आई0ओ0-1 लाइसेंसधारक या आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से प्राप्त करेगा। आयातक इकाइयों में समुद्रपार विदेशी मदिरा के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन इन ब्राण्डों को उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन अन्य राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों में स्थापित कस्टम बाण्डों से प्राप्त किया जा सकता है।	(2) लाइसेंसधारी, विदेशी मदिरा, एफ0एल0 2, एफ0एल0 2बी, बी0आई0ओ0-1/बी0आई0ओ0-1A लाइसेंसधारक या आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से प्राप्त करेगा। आयातक इकाइयों में समुद्रपार विदेशी मदिरा के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन इन ब्राण्डों को उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन अन्य राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों में स्थापित कस्टम बाण्डों से प्राप्त किया जा सकता है।
(3) लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति को भू-गृहादि के "भीतर" उपभोग के लिये किसी विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा और कोई विदेशी मदिरा किसी अन्य लाइसेंसधारी को विक्रय नहीं करेगा।	(3) लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति को भू-गृहादि के "भीतर" उपभोग के लिये किसी विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा और कोई विदेशी मदिरा किसी अन्य लाइसेंसधारी को विक्रय नहीं करेगा।
(4) लाइसेंसधारी केवल आयातित विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा के केवल उन्हीं ब्राण्डों की बिक्री करेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित धारिताओं की मुहर बंद बोतलों/पैकेटों में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु रजिस्ट्रीकृत हैं।	(4) लाइसेंसधारी केवल आयातित विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा के केवल उन्हीं ब्राण्डों की बिक्री करेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित धारिताओं की मुहर बंद बोतलों/पैकेटों में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु रजिस्ट्रीकृत हैं।
(5) लाइसेंसधारी अनुज्ञात थोक विक्रेताओं/ बी0आई0ओ0-1 से क्रय किये गये स्टॉक के सिवाय किसी प्रकार की विदेशी मदिरा का संचय या विक्रय लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं करेगा जिसके क्रय, संचय या बिक्री हेतु वह अधिनियम या तद्दीन बनाई गयी नियमावली, विनियमावली या आदेशों के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत नहो।	(5) लाइसेंसधारी अनुज्ञात थोक विक्रेताओं/ बी0आई0ओ0-1/ बी0आई0ओ0-1A से क्रय किये गये स्टॉक के सिवाय किसी प्रकार की विदेशी मदिरा का संचय या विक्रय लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं करेगा जिसके क्रय, संचय या बिक्री हेतु वह अधिनियम या तद्दीन बनाई गयी नियमावली, विनियमावली या आदेशों के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत न हो। परन्तु प्रीमियम फुटकर विक्रय बी0आई0ओ0-1 अथवा बी0आई0ओ0-1ए से क्रय की गई मदिरा पर थोक लाइसेंसमार्जिन राजकोष में जमा किया जायेगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(6) लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर से भिन्न किसी स्थान पर विदेशी मदिरा संचित नहीं करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर या उसके निकट अनधिकृत रूप में रखी गयी किसी विदेशी मदिरा के लिए उत्तरदायी होगा।	(6) लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर से भिन्न किसी स्थान पर विदेशी मदिरा संचित नहीं करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर या उसके निकट अनधिकृत रूप में रखी गयी किसी विदेशी मदिरा के लिए उत्तरदायी होगा।
(7) लाइसेंसधारी सुसंगत नियमावली के अधीन जारी परिवहन पास के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त परिसर के लिए विदेशी मदिरा का परिवहन करेगा।	(7) लाइसेंसधारी सुसंगत नियमावली के अधीन जारी परिवहन पास के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त परिसर के लिए विदेशी मदिरा का परिवहन करेगा।
(8) दुकान में उपलब्ध प्रत्येक विदेशी मदिरा की बोतल पर निर्माता के लेबिल और सुरक्षा कोड के अतिरिक्त ढक्कन पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल चस्पा होगा।	(8) दुकान में उपलब्ध प्रत्येक विदेशी मदिरा की बोतल पर निर्माता के लेबिल और सुरक्षा कोड के अतिरिक्त ढक्कन पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल चस्पा होगा।
(9) वोदका एवं रम रु. 700 प्रति 750 एम.एल. या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 750 एम.एल. वाले ब्राण्ड और बीयर के रु.140 प्रति 500 एम.एल. केनकेएम.आर.पी. या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 500 एम.एल. केन वाली ब्राण्ड की बिक्री ही अनुमन्य होगी।	(9) वोदका एवं रम अधिकतम खुदरा मूल्य रु. 700 प्रति 750 एम.एल. या इससे अधिक अधिकतम खुदरा मूल्य वाले ब्राण्ड और बीयर के अधिकतम खुदरा मूल्य रु.140 प्रति 500 एम.एल. या इससे अधिक वाले केन की बिक्री ही अनुमन्य होगी। एफ.एल.-4डी लाइसेंस को छोड़कर, जहाँ समस्त श्रेणी की बियर की बिक्री अनुमन्य होगी।
(10) (क) सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन के अंदर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। ऐसी दुकानों का प्रवेश एवं निकास द्वार मुख्य भवन के अंदर से होगा।	(10) (क) सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों/रेलवे स्टेशनों के मुख्य भवन के अंदर भी प्रीमियम फुटकर विक्रय अनुमन्य होंगे।
(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग की सुविधा अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।	(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग की सुविधा अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।
(ग) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर मदिरा सेवन संबंधी उपसाधन, जैसा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की किये जाय, की बिक्री भी अनुमन्य होगी।	(ग) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर मदिरा सेवन संबंधी उपसाधन, जैसा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाय, की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(घ) यदि लाइसेंसधारी किसी माह में कम से कम अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय) का उठान करने में विफल रहता है तो वह सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के अंदर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टॉक भी जब्त कर लिया जायेगा।	एफएल-4सी प्रीमियम फुटकर विक्रय का मासिक प्रत्याभूत राजस्व, वार्षिक प्रत्याभूत राजस्वका 1/12वाँ भाग होगा। प्रीमियम फुटकर विक्रय का वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व तिमाही आधार पर विभाजित किया जाएगा, जो उसी वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का 1/4वाँ भाग होगा। परन्तु समस्त एफएल 4सी प्रीमियम फुटकर विक्रय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे राज्य सरकार द्वारा यथा विहित न्यूनतम विनिर्दिष्ट प्रतिशतराशि, जो कि मासिक/त्रैमासिक जैसा भी मामला हो के लिए विहित कुल प्रतिफल शुल्क के बराबर हो, विदेशी मदिरा के रूप में उठाना होगा। प्रीमियम फुटकर विक्रयों में विदेशी मदिरा, वाइन, बीयर और एल.ए.बी. (कम तीव्रता के मादक पेय) से प्राप्त राजस्व सम्मिलित होगा; परन्तु एफएल-4डी लाइसेंस के लिए कोई न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा विहित नहीं की गई है। (घ) यदि एफ0एल04सी लाइसेंसधारी किसी माह में कम से कम अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (विदेशी मदिरा, वाइन, बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय) का उठान करने में विफल रहता है तो उसे सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के भीतर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करना होगा, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ करेंगे तथा बकाया राजस्व की वसूली की प्रक्रिया भी नियमानुसार आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टॉक भी जब्त कर लिया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से उसका निपटान किया जाएगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु, संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्यनिकासी एवं पिछले माह/त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी लाइसेंसधारी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह/त्रैमास तक निर्धारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया शेष न रहने की स्थिति में अविलम्ब वापस कर दी जायेगी। अगले माह/त्रैमास में पिछले माह/त्रैमास के बकाया राजस्व सहित अपेक्षित राजस्व के समतुल्य उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।	परन्तु, संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्यनिकासी एवं पिछले माह/त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी लाइसेंसधारी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह/त्रैमास तक निर्धारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया शेष न रहने की स्थिति में अविलम्ब वापस कर दी जायेगी। अगले माह/त्रैमास में पिछले माह/त्रैमास के बकाया राजस्व सहित अपेक्षित राजस्व के समतुल्य उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।

11. प्रपत्र-एफ0एल0-4 (ग) का संशोधन-उक्त नियमावली, में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-4 (सी) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम				
वि0म0-4(ग) भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों/पैकेटों में विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के लिए “प्रीमियम रिटेल वेण्डस” का लाइसेंस (नियम-7 के अन्तर्गत)	एफ0एल0-4 (ग) भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों/पैकेटों में विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के लिए “प्रीमियम रिटेल वेण्डस” का लाइसेंस (नियम-7 के अन्तर्गत)				
<table border="1"> <tr> <td>आवेदक का फोटो</td><td>प्रीमियम रिटेल वेण्डस का फोटो</td></tr> </table>	आवेदक का फोटो	प्रीमियम रिटेल वेण्डस का फोटो	<table border="1"> <tr> <td>आवेदक का फोटो</td><td>प्रीमियम रिटेल वेण्डस का फोटो</td></tr> </table>	आवेदक का फोटो	प्रीमियम रिटेल वेण्डस का फोटो
आवेदक का फोटो	प्रीमियम रिटेल वेण्डस का फोटो				
आवेदक का फोटो	प्रीमियम रिटेल वेण्डस का फोटो				
प्रीमियम फुटकर विक्रय का अक्षांश/ देशान्तर..... लाइसेंस संख्या..... प्रीमियम रिटेल वेण्डस का नाम.....जिला.....लाइसेंस फीस रूपया(अंकों में).....(शब्दों में) प्रतिभूति धनराशिरू0.....(अंकों में).....(शब्दों में) परिसर का विवरण (चौहद्दी के साथ)	प्रीमियम फुटकर विक्रय का अक्षांश/ देशान्तर..... लाइसेंस संख्या..... प्रीमियम रिटेल वेण्डस का नाम.....जिला.....लाइसेंस फीस रूपया(अंकों में).....(शब्दों में) प्रतिभूति धनराशिरू0.....(अंकों में).....(शब्दों में) परिसर का विवरण (चौहद्दी के साथ)				

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
उत्तर :	उत्तर :
दक्षिण :	दक्षिण :
पूरब :	पूरब :
पश्चिम:.....	पश्चिम:.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते	लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1).....पुत्र.....निवासी	(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी	(2).....पुत्र.....निवासी
"निकाल दिया गया"	"निकाल दिया गया"
परिसर के बाहर उपभोग के लिए मुहरबंद मानक बोतलों में विदेशी मदिरा, की फुटकर बिक्री के लिये प्रीमियम फुटकर विक्रय का लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को जिला.....के अन्तर्गत.....(स्थान) पुलिस थाना....., तहसील..... के लिए दिनांक.....से 31 मार्च..... तक के लिये जिसके लिये नियम-8 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।	परिसर के बाहर उपभोग के लिए मुहरबंद मानक बोतलों में विदेशी मदिरा, की फुटकर बिक्री के लिये प्रीमियम फुटकर विक्रय का लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को जिला.....के अन्तर्गत.....(स्थान) पुलिस थाना....., तहसील..... के लिए दिनांक.....से 31 मार्च20..... तक के लिये जिसके लिये नियम-8 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।
यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन है, जिसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के दोषसिद्धि पर या उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम ,1970 के अधीन बहिष्कृत होने पर सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य होगा तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि समपहत किए जाने योग्य होगी।	यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन है, जिसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के दोषसिद्धि पर या उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम ,1970 के अधीन बहिष्कृत होने पर सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य होगा तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि समपहत किए जाने योग्य होगी।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
सामान्य और विशेष शर्तें एक- लाइसेंसधारी, वि0म0-2, वि0म0-2ख, बी0आई0 ओ0-1 लाइसेंस धारक अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से विदेशी मदिरा की आपूर्ति, समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करें, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त करेगा। उत्तर प्रदेश में स्थापित आयातक इकाइयों में समुद्रपार विदेशी मदिरा के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुमति के अधीन इन ब्राण्डों को अन्य राज्यों या संघ राज्यों में स्थापित कस्टम बाण्डों से उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन खरीद सकता है। दो - विदेशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर 1x1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य नहीं प्रभारित करेगा। तीन- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।	सामान्य और विशेष शर्तें एक- लाइसेंसधारी, वि0म0-2, वि0म0-2ख, बी0आई0 ओ0-1 लाइसेंस धारक अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से विदेशी मदिरा की आपूर्ति, समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करें, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त करेगा। उत्तर प्रदेश में स्थापित आयातक इकाइयों में समुद्रपार विदेशी मदिरा के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुमति के अधीन इन ब्राण्डों को अन्य राज्यों या संघ राज्यों में स्थापित कस्टम बाण्डों से उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन खरीद सकता है। दो - विदेशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर 1x1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य नहीं प्रभारित करेगा। (क) लाइसेंसधारी को दुकान के अंदर के दृश्य को और दुकान के बाहर के दृश्य को कैद करने और संग्रहीत करने के लिए दो सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। (ख) लाइसेंसधारी को मदिरा की दुकान पर डिजिटल भुगतान की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। (ग) लाइसेंसधारी को मदिरा की बिक्री पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से करनी होगी। तीन- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
चार- विहित तीव्रता और मानक धारिता की मुहरबन्द बोटलों/कैनों में जिनपर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित सुरक्षा कोड और लेबिल चस्पा हो विदेशी मदिरा की बिक्री की जायेगी ।	चार- विहित तीव्रता और मानक धारिता की मुहरबन्द बोटलों/कैनों में जिनपर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित सुरक्षा कोड और लेबिल चस्पा हो विदेशी मदिरा की बिक्री की जायेगी ।
पाँच- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा अनुरक्षित रखेगा। लाइसेंसधारी विक्रय आदि का भी लेखा प्रस्तुत करेगा और निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी की अपेक्षानुसार सामग्री तथा दस्तावेजों की सुविधा प्रदान करेगा तथा उन्हें उपलब्ध करायेगा।	पाँच- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा अनुरक्षित रखेगा। लाइसेंसधारी विक्रय आदि का भी लेखा प्रस्तुत करेगा और निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी की अपेक्षानुसार सामग्री तथा दस्तावेजों की सुविधा प्रदान करेगा तथा उन्हें उपलब्ध करायेगा।
छः -लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा का संपूर्ण स्टॉक लाइसेंसप्राप्त परिसर में ही संचित करेगा।	छः -लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा का संपूर्ण स्टॉक लाइसेंसप्राप्त परिसर में ही संचित करेगा।
सात -लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रारूप/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनायें भी मोटे अक्षरों में होंगी।	सात -लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रारूप/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनायें भी मोटे अक्षरों में होंगी।
आठ- साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना भी प्रदर्शित होगी:- "दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। "शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"	आठ-साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना भी प्रदर्शित होगी:- "दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।" "शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"
नौ- लाइसेंसप्राप्त परिसर में अस्त्र लेकर प्रवेश करना सर्वथा निषिद्ध होगा।	नौ- लाइसेंसप्राप्त परिसर में अस्त्र लेकर प्रवेश करना सर्वथा निषिद्ध होगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
दस- लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।	दस- लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
ग्यारह- लाइसेंसधारी परमिट के सिवाय एक बार में राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित मात्रा से अधिक की बिक्री किसी भी क्रेता को नहीं करेगा।	ग्यारह- लाइसेंसधारी परमिट के सिवाय एक बार में राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित मात्रा से अधिक की बिक्री किसी भी क्रेता को नहीं करेगा।
बारह-21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को विक्री नहीं की जायेगी।	बारह-21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को विक्री नहीं की जायेगी।
तेरह- लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में बोटलों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड और पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।	तेरह- लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में बोटलों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड और पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।
चौदह- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई भी आसव, कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकारक सामग्री नहीं रखेगा।	चौदह- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई भी आसव, कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकारक सामग्री नहीं रखेगा।
पन्द्रह- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करने का कार्य जैसे थूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।	पन्द्रह- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करने का कार्य जैसे थूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।
सोलह- लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों में पूर्वान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की प्रीमियम फुटकर विक्रय की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिन/दिनों में प्रीमियम फुटकर विक्रयकी बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।	सोलह- लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों में पूर्वान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की प्रीमियम फुटकर विक्रय की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिन/दिनों में प्रीमियम फुटकर विक्रयकी बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
सत्रह-विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी।	सत्रह-विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी।
अठारह -लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।	अठारह-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
उन्नीस-प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसप्राप्त परिसर में देशी मदिरा या अन्य किसी पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।	उन्नीस-प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसप्राप्त परिसर में देशी मदिरा या अन्य किसी पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
बीस-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु डिस्पेन्सिंग मशीन स्थापित कर सकता है।	बीस-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु डिस्पेन्सिंग मशीन स्थापित कर सकता है।
इक्कीस-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।	इक्कीस-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।
बाईस- दुकान का लाइसेंसधारी क्रेता को वाइन के लिए आस्वादन कक्ष की सुविधा प्रदान करेगा।	बाईस- दुकान का लाइसेंसधारी क्रेता को वाइन के लिए आस्वादन कक्ष की सुविधा प्रदान करेगा।
तेइस-दुकान का लाइसेंसधारी मदिरा उपभोग से सम्बन्धित उपसाधन की बिक्री कर सकता है।	तेइस-दुकान का लाइसेंसधारी मदिरा उपभोग से सम्बन्धित उपसाधन की बिक्री कर सकता है।
चौबीस-लाइसेंसधारी को अपनी दुकान पर मदिरा विक्रय करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तदुसार जिला आबकारी अधिकारी को विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करना होगा।	चौबीस-लाइसेंसधारी को अपनी दुकान पर मदिरा विक्रय करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तदुसार जिला आबकारी अधिकारी को विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करना होगा।
दिनांक	दिनांक
जिला	जिला
लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंस प्राधिकारी

12. प्रपत्र-एफ0एल0-4 (डी) का बढ़ाया जाना-उक्त नियमावली में प्रपत्र एफ.एल.- 4 (सी) के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र एफ.एल.-4(डी) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

एफ0एल0-4 (डी)

**भृगूहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बीयर, वाइन कि फुटकर बिक्री के लिए
“प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स”का लाइसेंस**

(नियम-7 के अधीन)

आवेदक का फोटो	प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स का फोटो
---------------	--------------------------------

प्रीमियम फुटकर विक्रय का अक्षांश/ देशान्तर

लाइसेंस संख्या

प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स का नाम जिला लाइसेंस फीस रूपया (अंकों में) (शब्दों में) प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में) (शब्दों में) परिसर का विवरण (चौहद्दी के साथ)

उत्तर :

दक्षिण :

पूरब :

पश्चिम:.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1) पुत्र निवासी

(2) पुत्र निवासी

परिसर के बाहर उपभोग के लिए मुहरबंद मानक बोतलों में वाइन, एल0ए0बी0 एवं बीयरकी फुटकर बिक्री के लिये प्रीमियम फुटकर विक्रय का लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को जिला के अन्तर्गत (स्थान) पुलिस थाना, तहसील के लिए दिनांक से 31 मार्च तक के लिये जिसके लिये नियम-8 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन है, जिसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के दोषसिद्धि पर या उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अधीन बहिष्कृत होने पर सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य होगा तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि समपहृत किए जाने योग्य होगी।

सामान्य और विशेष शर्तें

- एक- लाइसेंसधारी जिला केएफ0एल0-2, एफ0एल0-2ख, बी0आई0 ओ0-1 लाइसेंस धारक अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से वाइन, एल0ए0बी0 एवं बीयर की आपूर्ति, समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त करेगा। उत्तर प्रदेश में स्थापित आयातक इकाइयों में समुद्रपार बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुमति के अधीन इन ब्राण्डों को अन्य राज्यों या संघ राज्यों में स्थापित कस्टम बाण्डों से उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेयका आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन खरीद सकता है।
- दो - वाइन, एल0ए0बी0 एवं बीयरकी बोतलों के लेबुलों पर 1x1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य नहीं प्रभारित करेगा।
- (क) लाइसेंसधारी को दुकान के अंदर के दृश्य और दुकान के बाहर के दृश्य को कैद करने और संग्रहीत करने के लिए दो सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे।
- (ख) लाइसेंसधारी को शराब की दुकान पर डिजिटल भुगतान की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
- (ग) लाइसेंसधारी को शराब की बिक्री पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से करनी होगी।
- तीन- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर विदेशी मदिरा बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.)की बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।
- चार- विहित तीव्रता और मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैनो में जिनपर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित सुरक्षा कोड और लेबिल चस्पा होविदेशी मदिरा की बिक्री की जायेगी ।
- पाँच- लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा अनुरक्षित रखेगा। लाइसेंसधारी विक्रय आदि का भी लेखा प्रस्तुत करेगा और निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी की अपेक्षानुसार सामग्री तथा दस्तावेजों की सुविधा प्रदान करेगा तथा उन्हें उपलब्ध करायेगा।
- छ:- लाइसेंसधारी, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय(एल0ए0बी0)का संपूर्ण स्टॉक लाइसेंसप्राप्त परिसर में ही संचित करेगा।
- सात- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रारूप/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनायें भी मोटे अक्षरों में अंकित होंगे।
- आठ- साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना भी प्रदर्शित होगी:-

“दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। ”

“शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

- नौ- लाइसेंसप्राप्त परिसर में शस्त्र लेकर प्रवेश करना सर्वथा निषिद्ध होगा।
- दस- लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
- ग्यारह- लाइसेंसधारी परमिट के सिवाय एक बार में राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित मात्रा से अधिक की बिक्री किसी भी क्रेता को नहीं करेगा।
- बारह- 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी धारित किसी सरकारी कर्मों को बिक्री नहीं की जायेगी।
- तेरह- लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में बोटलों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड और पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।
- चौदह- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई भी (स्प्रिट)आसव, कैरामल, रंग, सुगन्ध, सुरक्षा कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकारक सामग्री नहीं रखेगा।
- पन्द्रह- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करने का कार्य जैसे नृत्य या थूत कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।
- सोलह- लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों में पूर्वान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की प्रीमियम फुटकर विक्रय की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिन/दिनों में प्रीमियम फुटकर विक्रयकी बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- सत्रह- बीयर, वाइन एवं (कम तीव्रता के मादक पेय) (एल.ए.बी.) की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई अन्य कारबार करने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी।
- अठारह- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
- उन्नीस- प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसप्राप्त परिसर में देशी मदिरा या अन्य किसी पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- बीस- लाइसेंसधारी मदिरा की बिक्री हेतु डिस्पेन्सिंग मशीन स्थापित कर सकता है।
- इक्कीस- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।
- बाईस- दुकान का लाइसेंसधारी क्रेता को वाइन के लिए आस्वादन कक्ष की सुविधा प्रदान करेगा।

तेइस- दुकान का लाइसेंसधारी मदिरा उपभोग से सम्बन्धित उपसाधन की बिक्री कर सकता है।

चौबीस- लाइसेंसधारी को अपनी दुकान पर मदिरा विक्रय करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तदुसार जिला आबकारी अधिकारी को विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करना होगा।

दिनांक

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

आज्ञा से,
डा0 आदर्श सिंह,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 2041/X-License-171/FL-Premium Retail Vends/2025-26

Prayagraj, Dated : January 21, 2025

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910), **read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904(U.P. Act no.1 of 1904)**, the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Premium Retail Vends of Foreign Liquor) Rules, 2020:—

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR PREMIUM RETAIL VENDS OF FOREIGN LIQUOR) (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2025

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licences for Premium retail Vends of Foreign Liquor) (**Fourth Amendment**) Rules, 2025.

(2) **They shall be deemed to have come into force with effect from 01st April, 2025.**

2. Amendment of rule-2—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Premium retail Vends of Foreign Liquor) Rules, 2020, hereinafter referred to as the said rules, **for the existing rule 2** set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :—

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
Definition-.1In these rules, unless there is any thing repugnant in the subject or context:- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.	Definition-.1In these rules, unless there is any thing repugnant in the subject or context:- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(b) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April and ending with 31 March of a calendar year. (c) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents; (d) "Foreign liquor" means and includes the following- (i) Overseas Foreign Liquor:- Beer and spirit, wines and liquors, which have been imported into India and are intended for human consumption, and are liable, on such importation, to duty under the Custom Tariff Act, 1975 read with Customs Act, 1962 (ii) Indian Made Foreign Liquor (IMFL):- Spirit or liquor made in India and so phisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour, liquor imported into India and includes Malt spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka and liqueurs. It also includes beer brewed in India or packed draught beer, porter, cider, ale, wine and low alcoholic beverages (LAB). (e) "Form" means a form appended to these rules; (f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh. (g) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years. (h) "License" means license granted under these rules; (i) "Licensing Authority" means the District Magistrate/Collector of a revenue district. (j) "License fee" means a sum fixed as consideration fee for grant of the license for exclusive privilege of retail sale of foreign liquor in premium retail vend to be realized by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for an excise year.	(b) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April and ending with 31 March of a calendar year. (c) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents; (d) "Foreign liquor" means and includes the following- (i) Overseas Foreign Liquor:- Beer and spirit, wines and liquors, which have been imported into India and are intended for human consumption, and are liable, on such importation, to duty under the Custom Tariff Act, 1975 read with Customs Act, 1962 (ii) Indian-Made Foreign Liquor (IMFL):- Spirit or liquor made in India and so phisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour, liquor imported into India and includes Malt spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka and liqueurs. It also includes beer brewed in India or packed draught beer, porter, cider, ale, wine and low-alcoholic beverages (LAB). (e) "Form" means a form appended to these rules; (f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh. (g) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years. (h) "License" means license granted under these rules; (i) "Licensing Authority" means the District Magistrate/Collector of a revenue district. (j) "License fee" means a sum fixed as consideration fee for grant of the license for exclusive privilege of retail sale of foreign liquor in premium retail vend to be realized by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for an excise year.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
Provided that if such license is issued after the beginning of the excise year then license fee for the remaining period of the year shall be determined in proportion to the remaining number of quarters of the excise year. The license fee for a quarter is determined proportionately. (k) "Mall" means a large business complex which contains a variety of walk-in store(s) housed in one large building or buildings (with interconnecting pathways, on same or different floors with common passage area for buyers/visitors including the atrium or foyer, having parking facility) with a minimum plinth area of 10,000 square feet, situated within a compound and is owned by single firm/company having multiple licenses to sell various commodities. It includes shopping/commercial complex, departmental stores, super markets or hybrid hyper markets for retail sale of various commodities. (l) "Security Amount" means the amount equal to one-fourth of the amount of license fee, to be deposited through F.D.R/Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment within fifteen days of grant of license and is liable to be forfeited in case of any default committed by the licensee in the operation of license. (m) "Tasting room" means a separate space within license premises where facility of wine tasting is permissible to buyer. (n) "Transport permit" means a permit issued for transport of foreign liquor from the wholesale license such as FL-2, FL-2B, and BIO-1. (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	Provided that if such license is issued after the beginning of the excise year then license fee for the remaining period of the year shall be determined in proportion to the remaining number of quarters of the excise year. The license fee for a quarter is determined proportionately. (k) "Mall" means a large business complex which contains a variety of walk-in store(s) housed in one large building or buildings (with interconnecting pathways, on same or different floors with common passage area for buyers/visitors including the atrium or foyer, having parking facility) with a minimum plinth area of 10,000 square feet, situated within a compound and is owned by single firm/company having multiple licenses to sell various commodities. It includes shopping/commercial complex, departmental stores, super markets or hybrid hyper markets for retail sale of various commodities; (l) "Security amount" means an amount equal to ten per cent of the licence fee to be deposited through an e-bank guarantee pledged in favour of the District Excise Officer or through any other instrument or in any other manner as prescribed by the Excise Commissioner, which will be refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government: Provided that in case of renewal, security deposited earlier through cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) or Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded; (m) "Tasting room" means a separate space within license premises where facility of wine tasting is permissible to buyer. (n) "Transport permit" means a permit issued for transport of foreign liquor from the wholesale license such as FL-2, FL-2B, and BIO-1/BIO-1A. (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule-3—In the said rules, for existing rule 3 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
3-License for Premium Retail Vends of Foreign Liquor- One or more licenses in form F.L-4-C may be granted by the Licensing Authority for retail sale of Foreign Liquor in sealed bottles in Mall subject to the following conditions: (i) that the vend shall have at least 500sq feet carpet area and provide customers the facility to walk in the shops and select his/her choice of brand from the shelves. (ii) that the vend shall have to be air conditioned with good quality flooring and be well decorated with shelves so that various brands are displayed in shelves with systematic layout plan. (iii) that the vend shall have separate enclosures for storage and display of liquor; and (iv) that the licensee of the vend shall sell only those categories of Foreign Liquor authorized by the Excise Commissioner, as the case may be, to Individuals in sealed bottles/packs. (v) that the licensee of the vend shall not sell liquor to Individuals for consumption “on” the premises. (vi) that the licensee of the vend shall not sell liquor to any other licensee. (vii) such other conditions as the Excise Commissioner may deem fit to impose in this regard. (viii) that the licensee of the vend may provide tasting room facility of wine to buyer.	3-License for Premium Retail Vends of Foreign Liquor- One or more licenses in Form F.L.-4C may be granted for retail sale of foreign liquor in sealed bottles/packets in malls. One or more licenses in Form F.L.-4D for sale of wine and LAB of the categories permissible in F.L.-4C licenses and beer of all MRPS may be granted in districts/areas specified by the State Government from time. The licensing authority shall ensure the following conditions before grant of the license: (i) that the vend shall have at least 500sq feet carpet area and provide customers the facility to walk in the shops and select his/her choice of brand from the shelves. (ii) that the vend shall have to be air conditioned with good quality flooring and be well decorated with shelves so that various brands are displayed in shelves with systematic layout plan. (iii) that the vend shall have separate enclosures for storage and display of liquor; and (iv) that the licensee of the vend shall sell only those categories of Foreign Liquor authorized by the Excise Commissioner ,as the case may be, to Individuals in sealed bottles/packs. (v) that the licensee of the vend shall not sell liquor to Individuals for consumption “on” the premises. (vi) that the licensee of the vend shall not sell liquor to any other licensee. (vii) such other conditions as the Excise Commissioner may deem fit to impose in this regard. (viii) that the licensee of the vend may provide tasting room facility of wine to buyer.

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(ix) that the licensee of the vend may sell accessory regarding liquor consumption.	(ix) that the licensee of the vend may sell accessory regarding liquor consumption. (x) The licensee shall compulsorily install two C.C.T.V. cameras to ensure that the scene inside the shop and the scene outside the shop is being captured and stored. (xi) The licensee must compulsorily provide the option of digital payment facility at the liquor shop. (xii) The licensee shall sell liquor through POS machine. (xiii) Premium retail vends will not be permitted in multiplex areas of malls. (xiv) Transfer of premium retail vends shall be permissible, but this shall be subject to the provisions of Rule-6 (b). (xv) Premium retail vends along with restaurants/ canteens shall be permitted under institutional facilities in IT/ITES establishments having an area of 20,000sq. m. or more in Development Authorities and Industrial Development Authorities.

4. Amendment of rule-5—In the said rules, for existing rule 5 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
5. Applicant for license- Only such persons shall be eligible to make an application for license who,- (a) is a citizen of India: or (b) is a company registered under the companies Act, 1956; (c) is a company established under companies Act, 2013; (d) is a partnership firm registered under the Partnership Act, 1932; whose partners are residents of India; (e) is a registered sole proprietorship firm;	5. Applicant for license- Only such persons shall be eligible to make an application for license who,- (a) is a citizen of India: or (b) is a company registered under the companies Act, 1956; (c) is a company established under companies Act, 2013; (d) is a partnership firm registered under the Partnership Act, 1932; whose partners are residents of India; (e) is a registered sole proprietorship firm;

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(f) is a Limited Liability Partnership (LLP) firm; (g) is a society registered under Societies Registration Act, 1860; (h) is above 21 years of age, if an individual.	(f) is a Limited Liability Partnership (LLP) firm; (g) is a society registered under Societies Registration Act, 1860; (h) is above 21 years of age, if an individual. (i) No person, firm or company will be granted more than two premium retail vend licenses i.e.FL-4C and FL-4D.

5- Amendment of rule-6—In the said rules, for existing rule 6 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
6. Restrictions on the grant of license-A license shall not be granted unless- (a) the applicant is in actual possession of a shop measuring at least 500 sq feet carpet area in a mall. If the proposed premises is being utilized by an individual or institution, other than the owner of the property and building, the lease or rental agreement, shall be registered. (b) the premises of the shop is not within a distance of 500 mts. of the outer edge of the National or State highway or of its service lane along the highway and the premises shall not be either visible or directly accessible from a National or State highway. Provided that no new premium retail vend license shall be granted within 200 metre of radius of any model shop (FL-4A) and foreign liquor shop (FL-5D), but this provision shall not be applicable on already granted premium retail vend license. Provided that no new premium retail vend shall be granted within 200 metre radius of any model shop (FL-4A) and foreign liquor shop (FL-5D),but this provision shall not be applicable on already granted premium retail vend licenses:	6. Restrictions on the grant of license-A license shall not be granted unless- (a) the applicant is in actual possession of a shop measuring at least 500 sq feet carpet area in a mall. If the proposed premises is being utilized by an individual or institution, other than the owner of the property and building, the lease or rental agreement, shall be registered. (b) the premises of the shop is not within a distance of 500 mts. of the outer edge of the National or State highway or of its service lane along the highway and the premises shall not be either visible or directly accessible from a National or State highway. Provided that no new premium retail vend license shall be granted within 200 metre of radius of any model shop (FL-4A) and foreign liquor shop (FL-5D), but this provision shall not be applicable on already granted premium retail vend license. Provided that no new premium retail vend licenses shall be granted within 200 meter road distance of any model shop (FL 4A) or composite shop (FL 5DB) except in municipal corporation areas and development authority areas of Gautam Buddha Nagar, where the minimum distance shall be 100 metres However, this provision shall not be applicable on already existing premium retail vend licenses.

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
Provided Further that no new license of premium retail vend shall be granted within 200 metre radius of any model shop (FL-4A) and foreign liquor shop (FL-5D). This restriction shall not be applicable to the previously granted licenses of premium retail vend;) c) the premises of the shop is not within prohibited distance contrary to the provisions of sub-rule(4of rule Sof the Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops Rules, .1968)d) the applicant has a license under the Food Safety and Standards Act, 2006 issued by the competent authority.)e) the premises of the shop has a valid certificate of fire security issued by competent authority.	)c) the premises of the shop is not within prohibited distance contrary to the provisions of sub-rule(4of rule S of the Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops Rules, .1968)d) the applicant has a license under the Food Safety and Standards Act, 2006 issued by the competent authority.)e) the premises of the shop has a valid certificate of fire security issued by competent authority.

6. Amendment of rule-7—In the said rules, for existing rule 7 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
7. Application for grant of license- (1) An application for license shall be made to the District Excise Officer in the prescribed form along with the following documents :- (a) Non-refundable application fee; (b) Proof of lawful possession of the premises : ownership/lease/rental documents etc; (c) A layout plan of the proposed premises, clearly showing the proposed shop; (d) Security Amount; (e) Two years Income Tax/VAT/GST documents; (f) Self-attested copies of PAN Card & Aadhar Card ; (g) copy of registration certificate issued by Food Safety and Standard Authority of India under Food Safety and Standard Act 2006 ;	7. Application for grant of license- (1) An application for license shall be made to the District Excise Officer in the prescribed form along with the following documents :- (a) Non-refundable application fee; (b) Proof of lawful possession of the premises : ownership/lease/rental documents etc; (c) A layout plan of the proposed premises, clearly showing the proposed shop; (d) Security Amount; (e) Two years Income Tax/VAT/GST documents; (f) Self-attested copies of PAN Card & Aadhar Card ; (g) copy of registration certificate issued by Food Safety and Standard Authority of India under Food Safety and Standard Act 2006 ;

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(h) Character certificate issued by Commissioner of Police or an officer nominated by him not below the rank of Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police of the concerned district; (i) solvency certificate issued by the competent authority. (2) Applicant shall furnish an affidavit duly verified by public notary,- (a) that he is owner or lessee of premises or he has lease deed or consent letter of owner of the premises in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time; (b) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background and have not been convicted for any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act no 61 of 1985) or any other cognizable and non-bailable offence or has been externed under U.P. Control of Goondas Act, 1970 (<i>U.P. Act no. 8 of 1971</i>); (c) that he shall produce character certificate issued by Commissioner of Police or an officer nominated by him not below the rank of Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, in case of applicant being partnership firm/company, every partner of the firm/director or manager or managing agent or a managing director of the company has a certificate issued by Commissioner of Police or an officer nominated by him not below the rank of Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the	(h) Character certificate issued by Commissioner of Police or an officer nominated by him not below the rank of Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police of the concerned district; (i) solvency certificate issued by the competent authority. (2) Applicant shall furnish an affidavit duly verified by public notary,- (a) that he is owner or lessee of premises or he has lease deed or consent letter of owner of the premises in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time; (b) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background and have not been convicted for any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act no 61 of 1985) or any other cognizable and non-bailable offence or has been externed under U.P. Control of Goondas Act, 1970 (<i>U.P. Act no. 8 of 1971</i>); (c) that he shall produce character certificate issued by Commissioner of Police or an officer nominated by him not below the rank of Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, in case of applicant being partnership firm/company, every partner of the firm/director or manager or managing agent or a managing director of the company has a certificate issued by Commissioner of Police or an officer nominated by him not below the rank of Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record; (d) that he shall not employ salesman or representative who has criminal background or has infectious diseases or is below twenty one years of age or a woman; (e) that he is not in arrear of any Public or Government dues; (f) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required; (g) that he is neither holder of any liquor bottling license nor producer / manufacturer of Alcohol nor a holder of wholesale license; (h) that he is not an advocate registered with bar council or a doctor or a company secretary or a chartered accountant. If he is found to be any of the above after getting the license, then the license shall be cancelled; (i) that he is not a Government servant. In case of being found Government servant, his license shall be cancelled; (j) that the premises of his establishment does not fall within purview of buffer zone/ prohibited zone of National/State Highway; (k) that he has proper and sufficient space for parking of vehicles and shall not cause traffic nuisance and in case of being found, his license shall be cancelled; (l) that he shall provide certificate issued by competent authority for proper arrangement to fire safety in premises.	district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record; (d) that he shall not employ salesman or representative who has criminal background or has infectious diseases or is below twenty one years of age or a woman; (e) that he is not in arrear of any Public or Government dues; However, residents of other States can submit a notarized affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 instead of a non-dues certificate. (f) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required; (g) that he is neither holder of any liquor bottling license nor producer / manufacturer of Alcohol nor a holder of wholesale license; (h) that he is not an advocate registered with bar council or a doctor or a company secretary or a chartered accountant. If he is found to be any of the above after getting the license, then the license shall be cancelled; (i) that he is not a Government servant. In case of being found Government servant, his license shall be cancelled; (j) that the premises of his establishment does not fall within purview of buffer zone/ prohibited zone of National/State Highway; (k) that he has proper and sufficient space for parking of vehicles and shall not cause traffic nuisance and in case of being found, his license shall be cancelled; (l) that he shall provide certificate issued by competent authority for proper arrangement to fire safety in premises.

7. Amendment of rule-9—In the said rules, for existing rule 9 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
9- Issue of License (1) The licensing authority, after satisfying himself that the license fee and security has been deposited shall issue the license, under the signature and the seal of his office. (2) The licensing authority may accept or reject the application without assigning any reason and shall be under no obligation to grant license. In case an application is rejected, security amount shall be refunded within a period of ninety days. (3) Only one license shall be granted to an individual, partnership firm, company or a society. However this restriction shall not apply to companies owning a chain of Malls. (4) The holder of the license shall not be eligible for any other wholesale license.	9- Issue of License (1) The licensing authority, after satisfying himself that the license fee and security has been deposited shall issue the license, under the signature and the seal of his office. (2) The licensing authority may accept or reject the application without assigning any reason and shall be under no obligation to grant license. In case an application is rejected, security amount shall be refunded within a period of ninety days. (3) Only a maximum of two licenses shall be granted to any one person, firm or company. (4) The holder of the license shall not be eligible for any other wholesale license.

8. Amendment of rule-13—In the said rules, for existing rule 13 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
13- Mutation of license on death of a licensee(s)- (1) A license may be held by an individual or may be held jointly held by two or more partners. (2) A license may be submit a nomination affidavit regarding the transfer of license mentioning the names of his heirs/family members/close relatives, Aadhaar number, relation etc. in first, second, third etc. order of preference. In case of death, the applications submitted as per the nomination affidavit shall be considered first, otherwise action will be taken as per the rules.	13- Mutation of license on death of a licensee(s)- (1) A license may be held by an individual or may be held jointly held by two or more partners. (2) A licensee may submit a nomination affidavit and a consent affidavit of the first nominee regarding the transfer of license mentioning the names of his heirs/family members/close relatives, Aadhaar number, relation etc. in first, second, third etc. order of preference. In case of death, the applications submitted as per the nomination affidavit shall be considered first, otherwise action will be taken as per the rules.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
An affidavit duly verified by notary public as a proof of aforesaid intent shall be submitted in the office of the licensing authority. (3) In the event of death of licensee or one of partners, where there is no nomination affidavit, then on an application made to the licensing authority, the license may be mutated in the name of the survivors along with the legal heir(s) of deceased, subject to fulfillment of eligibility conditions: Provided that they are not found otherwise ineligible after considering the application made for the mutation of license. No distinction will be made between the legal liabilities of the partners who will be jointly and severally responsible.	An affidavit duly verified by notary public as a proof of aforesaid intent shall be submitted in the office of the licensing authority. (i) If a licensee dies after depositing the amount for renewal of the next year and none of his legal heirs or nominee is found suitable for this, then the amount deposited for renewal will be returned to his legal heir except the processing fee. (ii) In case a licensee of premium retail vend whose licenses have been renewed since previous years dies and his legal heir or nominee does not give an affidavit or they are found unsuitable, then on receipt of the application form, the shop will be renewed in favour of the surviving licensee on submission of the application by the due date for the next year. At the end of the year, the security amount deposited for the previous year will be returned. (iii) Premium vends with two living licensees will be renewed only if there is an agreement between both licensees for renewal. In case of no agreement, renewal will not be permissible. (3) In the event of death of licensee or one of partners, where there is no nomination affidavit, then on an application made to the licensing authority, the license may be mutated in the name of the survivors along with the legal heir(s) of deceased, subject to fulfillment of eligibility conditions: Provided that they are not found otherwise ineligible after considering the application made for the mutation of license. No distinction will be made between the legal liabilities of the partners who will be jointly and severally responsible.

9. Amendment of rule-14—In the said rules, for existing rule 14 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
14. The Licensee shall transact business from 10.00 AM to 10.00 PM. Provided that the Excise Commissioner with the approval of the Government may bring about any change during the course of license period in the hours of business and the licensee shall observe such changed timings accordingly.	14. The Licensee shall transact business from 10.00 AM to 10.00 PM. However, the working hours of the premium retail vends operating in the malls shall be equivalent to the working hours of the mall and the working hours of the premium retail vend operating in the main building of the airport shall be equivalent to the operating hours of the airport: Provided that the Excise Commissioner with the approval of the Government may bring about any change during the course of license period in the hours of business and the licensee shall observe such changed timings accordingly.

10. Amendment of rule-18—In the said rules, for existing rule 18 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
18- Sale of only duty paid foreign liquor- (1) The licensee shall sell only,- (a) Overseas foreign liquor brands, (b) IMFL brands of Scotch or above category (c) all categories of brandy, Gin and wine, (d) brands of vodka, rum and beer with maximum retail price as prescribed by Excise Commissioner with previous approval of State Government and (e) all brands of LAB. Provided that all these eligible brands can be sold in all SKUs (Stock Keeping Units) permitted by Excise Commissioner.	18- Sale of only duty paid foreign liquor- (1) The F.L. 4C licensee shall sell only,- (a) Overseas foreign liquor brands, (b) IMFL brands of Scotch or above category (c) all categories of brandy, Gin and wine, (d) brands of vodka, rum and beer with maximum retail price as prescribed by Excise Commissioner with previous approval of State Government and (e) all brands of LAB. (2) The F.L. 4D licensee shall sell only,- (a) all categories of wine, (b) all categories of LABs and (c) all categories of beer Provided that all these eligible brands can be sold in all SKUs (Stock Keeping Units) permitted by the Excise Commissioner.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(2) The licensee shall procure Foreign Liquor from license holder of FL-2, FL-2B, BIO-1 or from any licensee authorized by the Excise Commissioner. In case of non-availability of any type of brands of overseas foreign liquor at importing units, authorized persons may procure these brands under special permission of Excise Commissioner from custom bonds established in other states or Union Territories under provisions of import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules 2003. (3) The licensee shall not sell any foreign liquor to any person for consumption "on" the premises and shall not sell any foreign liquor to any other licensee. (4) The licensee shall sell only those brands of imported foreign liquor and IMFL which are registered for sale in Uttar Pradesh in sealed bottles/packs and sizes as approved by Excise Commissioner. (5) The licensee shall not stock or sell in the licensed premises foreign liquor except stocks purchased from the permitted wholesalers / BIO-1, of any kind which he is not authorized to buy, stock or sell under the provisions of the Act or the rules, regulations or orders made there under. (6) The licensee shall not stock foreign liquor in any place other than the licensed premises. The licensee shall be held responsible for any foreign liquor unauthorized kept outside or nearby the licensed premises. (7) The licensee shall transport foreign liquor to the license premises through transport passes issued under relevant rules.	(2) The licensee shall procure Foreign Liquor from license holder of FL-2, FL-2B, BIO-1/ BIO-1A or from any licensee authorized by the Excise Commissioner. In case of non-availability of any type of brands of overseas foreign liquor at importing units, authorized persons may procure these brands under special permission of Excise Commissioner from custom bonds established in other states or Union Territories under provisions of import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules 2003. (3) The licensee shall not sell any foreign liquor to any person for consumption "on" the premises and shall not sell any foreign liquor to any other licensee. (4) The licensee shall sell only those brands of imported foreign liquor and IMFL which are registered for sale in Uttar Pradesh in sealed bottles/packs and sizes as approved by Excise Commissioner. (5) The licensee shall not stock or sell in the licensed premises foreign liquor except stocks purchased from the permitted wholesalers / BIO-1/ BIO-1A, of any kind which he is not authorized to buy, stock or sell under the provisions of the Act or the rules, regulations or orders made there under. Provided that the wholesale licence margin on the liquor purchased from the premium retail vend BIO-1 or BIO-1A shall be deposited in the treasury. (6) The licensee shall not stock foreign liquor in any place other than the licensed premises. The licensee shall be held responsible for any foreign liquor unauthorized kept outside or nearby the licensed premises. (7) The licensee shall transport foreign liquor to the license premises through transport passes issued under relevant rules.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(8) Every bottle of foreign liquor in the shop shall carry labels prescribed by the Excise Commissioner on the cap of the bottle in addition to the manufacturer's label and security code (9) Only brands of vodka and rum having maximum retail price of Rs. 700 per 750 ml or more and brands of beer having maximum retail price of Rs. 140 per 500 ml can or more shall be allowed for sale. (10)(a) Premium retail vend shall also be allowed inside airports and metro stations/railway stations after getting no objection certificate from the competent authority. Entry and exit gates of such shops shall be from inside the main building. (b) Only wine tasting facility shall be allowed in a separate room at premium retail vend shops and sale in the tasting room shall be prohibited. (c) Sale of liquor accessories, as may be determined by the Excise Commissioner, shall also be allowed at premium retail vend shops.	(8) Every bottle of foreign liquor in the shop shall carry labels prescribed by the Excise Commissioner on the cap of the bottle in addition to the manufacturer's label and security code (9) Only brands of vodka and rum having maximum retail price of Rs. 700 per 750 ml or more and brands of beer having maximum retail price of Rs. 140 per 500 ml can or more shall be allowed for sale (except for F.L. 4D license, where sale of all categories of beer shall be permissible). (10)(a) Premium retail vends will also be permitted inside the main building of airports and metro stations/railway stations after obtaining a No Objection Certificate from the competent authority. (b) Only wine tasting facility shall be allowed in a separate room at premium retail vend shops and sale in the tasting room shall be prohibited. (c) Sale of liquor accessories, as may be determined by the Excise Commissioner, shall also be allowed at premium retail vend shops. Monthly guaranteed revenue of FL 4C premium retail vend will be 1/12th of the annual guaranteed revenue. The annual guaranteed revenue of premium retail vends shall be divided on a quarterly basis, which will be 1/4th of the same annual guaranteed revenue. Provided further that it shall further be mandatory for all FL 4C premium retail vends to lift a minimum specific percentage, as prescribed by the State Government, of the amount equivalent to the total consideration fees prescribed for the month/quarter as the case may be, in the form of overseas foreign liquor.

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(d) If the licensee fails to lift liquor (foreign liquor, wine and low-strength alcoholic beverages) at least equivalent to monthly minimum guaranteed revenue in any month, he shall be required to deposit additional security equivalent to the outstanding revenue of the respective month within 10 days, failing which the license shall be automatically cancelled and the process of recovery of outstanding revenue will be initiated as per rules. The unsold stock at the shop shall also be seized: Provided that in case additional security equivalent to the outstanding revenue of the respective month/quarter is deposited within time, lifting can be made by the licensee equivalent to the revenue fixed for the next month as well as equivalent to the outstanding revenue of the previous month/quarter. If lifting is made equivalent to the total revenue fixed for any month/quarter, the additional security deposited earlier shall be refunded immediately by the District Excise Officer in case there is no other outstanding balance. Compounding action shall be taken if lifting is not made in the next month/quarter equivalent to the required revenue inclusive of outstanding revenue of the previous month/quarter.	Premium retail vends will include revenue from foreign liquor, wine, beer and L.A.B.: Provided that no minimum annual guaranteed quantity is prescribed for FL-4D licenses. (d) If the FL4C licensee fails to lift liquor (foreign liquor, wine, beer and low-intensity alcoholic beverages) equivalent to his monthly minimum guaranteed revenue in any month, he will be required to deposit additional security equivalent to the outstanding revenue of the respective month within 10 days, failing which the licensing authority will initiate cancellation proceedings as per rules and the process of recovery of outstanding revenue will also be initiated as per rules. The unsold stock at the shop will also be seized and disposed of in the manner as prescribed by the State Government: Provided that in case additional security equivalent to the outstanding revenue of the respective month/quarter is deposited within time, lifting can be made by the licensee equivalent to the revenue fixed for the next month as well as equivalent to the outstanding revenue of the previous month/quarter. If lifting is made equivalent to the total revenue fixed for any month/quarter, the additional security deposited earlier shall be refunded immediately by the District Excise Officer in case there is no other outstanding balance. Compounding action shall be taken if lifting is not made in the next month/quarter equivalent to the required revenue inclusive of outstanding revenue of the previous month/quarter.

11. Amendment of Form F.L.-4 (C)–In the said rules, for existing Form F.L.-4 (C) setout in Column-I below, the form as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>				
F.L. – 4 (C) Premium Retail Vend license for the Retail Sale of Foreign Liquor in sealed Bottles /Packs for consumption “off” the premises. (Under Rule -7) <table border="1" data-bbox="288 707 746 842"> <tr> <td style="text-align: center;">Photo of applicant</td><td style="text-align: center;">Photo of premium retail vends</td></tr> </table> Latitude/Longitude of premium retail vends License No. Name of premium retail vends District License fee Rs (in figures) (in words) Security amount Rs (in figures) (in words) Description of premises (with boundaries) North..... South..... East..... West..... Name, Father's Name & Address of Licensee(s)- 1.....s/o R/o..... 2.....s/o R/o..... “Omitted”	Photo of applicant	Photo of premium retail vends	F.L. – 4 (C) Premium Retail Vend license for the Retail Sale of Foreign Liquor in sealed Bottles /Packs for consumption “off” the premises. (Under Rule -7) <table border="1" data-bbox="932 734 1390 869"> <tr> <td style="text-align: center;">Photo of applicant</td><td style="text-align: center;">Photo of premium retail vends</td></tr> </table> Latitude/Longitude of premium retail vends License No. Name of premium retail vends District License fee Rs (in figures) (in words) Security amount Rs (in figures) (in words) Description of premises (with boundaries) North..... South..... East..... West..... Name, Father's Name & Address of Licensee(s)- 1.....s/o R/o..... 2.....s/o R/o..... “Omitted”	Photo of applicant	Photo of premium retail vends
Photo of applicant	Photo of premium retail vends				
Photo of applicant	Photo of premium retail vends				

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
Premium retail vend license for the retail sale of Foreign Liquor in sealed standard bottles for consumption “off” the premises is hereby granted to above license holder(s) at (Place) in P.S. Tehsil in the District of w.e.f. to March 31, 20..... for which license fee and security deposit has been made in accordance with rule-8. The license is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction of the licensee(s) for any offence under the UP Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or externment under U.P. Control of Goondas Act, 1970 shall make the license liable for cancellation, forfeiture of the license fee and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws. General and Special Conditions i. The licensee shall procure Foreign Liquor from license holder of FL-2, FL-2B, BIO-1 or from any licensee authorized by the Excise Commissioner, after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess, etc. leviable from time to time. In case of non-availability of any type of brands of overseas foreign liquor at importing units, authorized persons may procure these brands under special permission of Excise Commissioner from custom bonds established in other states or Union Territories under provisions of import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules 2003. ii. Maximum retail price shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on the label of bottles of Foreign Liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed MRP.	Premium retail vend license for the retail sale of Foreign Liquor in sealed standard bottles for consumption “off” the premises is hereby granted to above license holder(s) at (Place) in P.S. Tehsil in the District of w.e.f. to March 31, 20..... for which license fee and security deposit has been made in accordance with rule-8. The license is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction of the licensee(s) for any offence under the UP Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or externment under U.P. Control of Goondas Act, 1970 shall make the license liable for cancellation, forfeiture of the license fee and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws. General and Special Conditions i. The licensee shall procure Foreign Liquor from license holder of FL-2, FL-2B, BIO-1 or from any licensee authorized by the Excise Commissioner, after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess, etc. leviable from time to time. In case of non-availability of any type of brands of overseas foreign liquor at importing units, authorized persons may procure these brands under special permission of Excise Commissioner from custom bonds established in other states or Union Territories under provisions of import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules 2003. ii. Maximum retail price shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on the label of bottles of Foreign Liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed MRP.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
iii. Sale of foreign liquor, beer wine and low alcoholic beverages on licensed premises shall be made only for consumption “off” the premises. Drinking of liquor is prohibited in the premises. iv. The sale of Foreign Liquor shall be made in sealed bottles/cans of standard capacity of prescribed strength which carry labels and security code prescribed by the Excise Commissioner. v. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority. vi. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor in the licensed premises only. vii. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the premium retail vend in the form/size approved by the Excise Commissioner bearing the name of the licensee, designation, location of premium retail vend , period of license, opening and closing time of vend and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters.	(a) The licensee shall compulsorily install two CCTV cameras to ensure that the scene inside the shop and the scene outside the shop is being captured and stored. (b) The licensee must compulsorily provide the option of digital payment facility at the liquor shop. (c) The licensee shall sell liquor through POS machine. iii. Sale of foreign liquor, beer wine and low alcoholic beverages on licensed premises shall be made only for consumption “off” the premises. Drinking of liquor is prohibited in the premises. iv. The sale of Foreign Liquor shall be made in sealed bottles/cans of standard capacity of prescribed strength which carry labels and security code prescribed by the Excise Commissioner. v. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority. vi. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor in the licensed premises only. vii. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the premium retail vend in the form/size approved by the Excise Commissioner bearing the name of the licensee, designation, location of premium retail vend , period of license, opening and closing time of vend and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
viii. The signboard will also display the following information :- “Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of premium retail vend or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable” “Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.” ix. It shall be strictly prohibited to carry arms in the licensed premises. x. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contagious disease, or has criminal background, or a woman. xi. The licensee shall not make sale to any purchaser in quantity more than as prescribed by Excise Commissioner with approval of State Government at a time except under permit. xii. Sale shall not be made to a person below the age of 21 years or a Government official in uniform. xiii. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles, their labels, security code and pilfer proof seals. xiv. The licensee shall not keep in his licensed premises any spirit, caramel, colour, essence, security code, labels, capsules, seals or any other noxious material. xv. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.	viii. The signboard will also display the following information :- “Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of premium retail vend or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable” “Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.” ix. It shall be strictly prohibited to carry arms in the licensed premises. x. The licensee shall not employ any person as salesperson who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contagious disease, or has criminal background, or is a woman. xi. The licensee shall not make sale to any purchaser in quantity more than as prescribed by Excise Commissioner with approval of State Government at a time except under permit. xii. Sale shall not be made to a person below the age of 21 years or a Government official in uniform. xiii. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles, their labels, security code and pilfer proof seals. xiv. The licensee shall not keep in his licensed premises any spirit, caramel, colour, essence, security code, labels, capsules, seals or any other noxious material. xv. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
xvi. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10.00 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 03 more days as notified for closure by the Licensing Authority. The Licensing Authority may also order for closure of premium retail vend on account of law and order or general election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of premium retail vend on above dates/days. xvii. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages for which license is granted. xviii. The licensee shall on expiry of the license, report to the licensing authority for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16. xix. No country liquor or any other substance shall be stored in licensed premises of premium retail vend. xx. The licensee can install a dispensing machine for sale of foreign liquor. xxi. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time. xxii. The licensee of the vend may provide tasting room facility of wine to buyer. xxiii. The licensee of the vend may sell accessory regarding liquor consumption. xxiv. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly. Date District Licensing Authority	xvi. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10.00 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 03 more days as notified for closure by the Licensing Authority. The Licensing Authority may also order for closure of premium retail vend on account of law and order or general election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of premium retail vend on above dates/days. xvii. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages for which license is granted. xviii. The licensee shall on expiry of the license, report to the licensing authority for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16. xix. No country liquor or any other substance shall be stored in licensed premises of premium retail vend. xx. The licensee can install a dispensing machine for sale of foreign liquor. xxi. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time. xxii. The licensee of the vend may provide tasting room facility of wine to buyer. xxiii. The licensee of the vend may sell accessories related to liquor consumption. xxiv. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his/her shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly. Date District Licensing Authority

Insertion of form F.L.-4 In the said rules, after Form F.L.-4(C), the following Form F.L.-4(D) shall be inserted, namely:-

F.L. – 4 (D)

License of “Premium Retail Vends” for Retail Sale of sealed beer, wine for consumption “off” the premises
(Under Rule -7)

Photo of applicant	Photo of premium retail vends
--------------------	----------------------------------

Latitude/Longitude of premium retail vends

License No.

Name of premium retail vends District

License fee Rs..... (in figures) (in words)

Security amount Rs..... (in figures) (in words)

Description of premises (with boundaries)

North

South

East

West

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)-

1..... s/o R/o.....

2..... s/o R/o.....

Premium retail vend license for the retail sale of Wine, LAB and Beer in sealed standard bottles for consumption “off” the premises is hereby granted to above license holder(s) at
(Place) in P.S. Tehsil in the District of w.e.f.
..... to March 31, 20..... for which license fee and security deposit has been made in
accordance with rule-8.

The license is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction of the licensee(s) for any offence under the UP Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or externment under U.P. Control of Goondas Act, 1970 shall make the license liable for cancellation, forfeiture of the license fee and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

General and Special Conditions

- i. The licensee shall procure Foreign Liquor from license holder of FL-2, FL-2B, BIO-1 or from any licensee authorized by the Excise Commissioner, after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess, etc. leviable from time to time. In case of non-availability of any type of brands of overseas foreign liquor at importing units, authorized persons may procure these brands under special permission of Excise Commissioner from custom bonds established in other states or Union Territories under provisions of import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules 2003.
- ii. Maximum retail price shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on the label of bottles of Wine, LAB and Beer. The retail licensee shall not charge more than the printed MRP.
 - (a) The licensee shall compulsorily install two CCTV cameras to ensure that the scene inside the shop and the scene outside the shop is being captured and stored.
 - (b) The licensee must compulsorily provide the option of digital payment facility at the liquor shop.
 - (c) The licensee shall sell liquor through POS machine.
- iii. Sale of beer, wine and low alcoholic beverages on licensed premises shall be made only for consumption "off" the premises. Drinking of liquor is prohibited in the premises.
- iv. The sale of Foreign Liquor shall be made in sealed bottles/cans of standard capacity of prescribed strength which carry labels and security code prescribed by the Excise Commissioner.
- v. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
- vi. The licensee shall store entire stock of Wine, LAB and Beer in the licensed premises only.
- vii. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the premium retail vend in the form/size approved by the Excise Commissioner bearing the name of the licensee, designation, location of premium retail vend, period of license, opening and closing time of vend and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters.
- viii. The signboard will also display the following information :-

"Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of premium retail vend or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable"

"Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."
- ix. It shall be strictly prohibited to carry arms in the licensed premises.
- x. The licensee shall not employ any person as salesperson who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contagious disease, or has criminal background, or is a woman.
- xi. The licensee shall not make sale to any purchaser in quantity more than as prescribed by Excise Commissioner with approval of State Government at a time except under permit.
- xii. Sale shall not be made to a person below the age of 21 years or a Government official in uniform.
- xiii. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles, their labels, security code and pilfer proof seals.
- xiv. The licensee shall not keep in his licensed premises any spirit, caramel, colour, essence, security code, labels, capsules, seals or any other noxious material.

- xv. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.
- xvi. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10.00 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 03 more days as notified for closure by the Licensing Authority. The Licensing Authority may also order for closure of premium retail vend on account of law and order or general election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of premium retail vend on above dates/days.
- xvii. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of beer, wine and low alcoholic beverages for which license is granted.
- xviii. The licensee shall on expiry of the license, report to the licensing authority for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.
- xix. No country liquor or any other substance shall be stored in licensed premises of premium retail vend.
- xx. The licensee can install a dispensing machine for sale of foreign liquor.
- xxi. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
- xxii. The licensee of the vend may provide tasting room facility of wine to buyer.
- xxiii. The licensee of the vend may sell accessories related to liquor consumption.
- xxiv. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his/her shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.

Date

District

Licensing Authority

By order,
DR. ADARSH SINGH,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.